न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 28 / 2024 (उदयपुर डिक्री)

कल्याणसिंह पिता श्री मानसिंह राजपूत, निवासी लुणदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. रामचन्द्र के बजाय :–

1 / 1. श्रीमती गीता पत्नी स्वर्गीय रामचन्द्र जी तेली, निवासी लुणदा

1 / 2. गोपाल पिता स्वर्गीय रामचन्द्र जी तेली, निवासी लुणदा

1 / 3. श्रीमती कला पुत्री स्वर्गीय रामचन्द्र जी तेली, निवासी लुणदा

1 / 4. श्रीमती जसोदा पुत्री स्वर्गीय रामचन्द्र जी तेली, निवासी लुणदा

2. उदयराम पिता मगनीराम वीरवाल, निवासी लुणदा, तहसील वल्लभनगर

3. श्रीमती रूकमणी पुत्री मगनीराम वीरवाल, नि0 लुणदा, तह0 वल्लभनगर

4. भरत कुमार पिता उदयलाल वीरवाल, नि0 लुणदा, तहसील वल्लभनगर

5. शिवनारायण पिता हरीराम तेली, निवासी लुणदा, तहसील वल्लभनगर

6. नर्बदा शंकर पिता कजोड़ीमल ब्राहमण, निवासी कानोड़, तह0 कानोड़

7. प्रदीपसिंह पिता मानसिंह राजपूत, निवासी लुणदा, तहसील वल्लभनगर

8. परसराम पिता मोहनलाल सोनी, निवासी कानोड़, तहसील कानोड़

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्त० अधि० – 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री सहायक कलक्टर भीण्डर दिनांक
12.12.2023, प्रकरण संख्या 97 / 2021

———/———

उपस्थित :– 1– श्री शैलेन्द्र गौतम अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री लोकेश मेनारिया अभिभाषक रे.सं. 5

———::———

निर्णय **दिनांक 17–03–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 ने एक [illegible]बत् अन्तर्गत धारा 53, 188

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:02:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लूणदा में आराजी नंबर 119 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में नर्बदा शंकर, मु. रम्भादेवी, रामचन्द्र, उदयराम, रूकमणी, भरत कुमार, परशराम के नाम हिस्सा बराबर से अंकित है नामान्तरकरण संख्या 555 दिनांक 06–11–2004 इन्द्राज दुरस्ती से नर्बदा शंकर, मु. रम्भादेवी, रामचन्द्र, उदयराम, रूकमणी, भरत कुमार 1/3 हिस्सा बराबर तथा परशराम 2/3 हिस्सा दर्ज करने की स्वीकृति हुई। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 579 दिनांक 14–06–2005 बिकाव से परशराम 2/3 हिस्से के बजाय प्रदीपसिंह, कल्याणसिंह, 30/66 परशराम 14/66 हिस्सा दर्ज करने की स्वीकृति हुई। इसी तरह नामान्तरकरण संख्या 581 दिनांक 20–10–2005 बिकाव से मु. रम्भादेवी के बजाय शिवनारायण 1/18 दर्ज करने की स्वीकृति हुई। आराजी नंबर 119 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा के खातेदार हिम्मतसिंह से यह भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से दिनांक 02–06–1980 को वादी संख्या 1 से 4 व प्रतिवादी संख्या 1 एवं रम्भादेवी से 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 2/3 हिस्सा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है, तब से सभी खातेदारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं। इसके बाद रम्भादेवी ने दिनांक 31–08–1999 को पंजीकृत विक्रय पत्र से वादी संख्या 5 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। इस तरह प्रतिवादी संख्या 4 जिसका 2/3 हिस्सा था, उसमें से 30/66 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 05–04–2005 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। विवादित आराजी में वादीगण का क्रमशः 1/18, 1/18 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु प्रतिवादीगण लड़ाई झगड़ा करते हैं। अतः विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23–08–2022 को वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 12–12–2023 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02–05–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:02:51 IST
Reason: SelfAttested

मेनारिया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र गौतम उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। जानकारी होने पर नकले प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति के आधार पर निर्णय किये जाने एवं बंटवारा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं किये जाने का कथन अंकित किया है, जो आधारहीन है, क्योंकि अपीलान्ट की ओर से कोई सहमति नहीं दी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट दिनांक 21–07–2023 को पढ़े बिना एवं मौके की स्थिति का संज्ञान किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया, क्योंकि मौका पर्चा में स्पष्ट अंकित है कि मौके पर वादीगण का कब्जा नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट ने तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री अपास्त की जावे तथा प्रकरण में विधिवत सुनवाई कर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति के आधार पर निर्णय किये जाने एवं बंटवारा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:02:51 IST
Reason: SelfAttested

का कथन अंकित किया है, जो आधारहीन है, क्योंकि अपीलान्ट की ओर से कोई सहमति नहीं दी गयी है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका, बंटवारा प्रस्ताव एवं उसके साथ संलग्न नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया तो पाया कि सभी जगहों पर अपीलान्ट कल्याणसिंह के हस्ताक्षर हैं। आदेशिका दिनांक 12–12–2023 में स्पष्ट अंकित है कि पी.डी. की पालना में एफ.डी. के लिए सहमत हैं। सहमति के हस्ताक्षर स्वयं अपीलान्ट ने किये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का कथन विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति के आधार पर जो अंतिम डिक्री जारी की है वह विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–12–2023 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:02:51 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰** .....

कल्याणसिंह पिता मानसिंह राजपूत, निवासी लुणदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर	बनाम	**रामचन्द्र के बजाय श्रीमती गीता पत्नी स्व. रामचन्द्र तेली, निवासी लुणदा, तह. वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰.....**28 / 2024**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**भीण्डर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....12**.....माह.....**12**.....**2023**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**.17**....माह.....**.03**....सन् **2025** रूबरू.....**.पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री शैलेन्द्र गौतम.....**मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री लोकेश मेनारिया**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12–12–2023 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**17**.....माह.....**03**.....**2025** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:02:51 IST
Reason: SelfAttested